न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 186 / 2013

उनवान

1. बृजराज सिंह आत्मज खेमराज मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. श्रीमती दाखा पत्नि खेमराज मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. भोपाल आत्मज 'खेमराज मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
4. राजा आज्मज प्रेम सिंह मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
5. चरण सिंह आत्मज फुल सिंह मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
6. राजेन्द्र आत्मज प्रेम सिह मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
7. श्रीमती सीता पत्नि प्रेम सिंह मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
8. श्रीमती सोदरी पत्नि प्रेम सिंह मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती फसमा देवी पत्नि रंगलाल मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
2. अभय आत्मज रंगलाल मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
3. यशपाल आत्मज रंगलाल मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
4. अजीत आत्मज रंगलाल मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
5. सुश्री राजकुमारी पुत्री रंगलाल मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
6. सुश्री गीता पुत्री रंगलाल मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
7. बहादुर सिंह आत्मज देबी सिंह मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
8. जोरावर आमज देबीसिंह मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
9. दरबार आत्मज देबी सिह मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
10. हंसराज आत्मज देबी सिंह मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. श्रीमती गंगा देवी पत्नि देबी सिह मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
12. राजेन्द्र आत्मज रामनिवास मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
13. श्रीमती सोजी पुत्री रामनिवास मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
14. मनोज कुमार आत्मज शिवराज सिंह मीणा निवासी टिकड तहसील जहाजपुर
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस्

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 265/2009 निर्णय दिनांक 9.8.2013

अभिभाषक : 1. श्री अमित कोठारी ,अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री दिनेश तिवाडी,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8

आदेश

दिनांक 26.3.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 14/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम टिकड पटवार हल्का टीकड तहसील जहाजपुर में कृषि भूमि आराजी नम्बर 1352, 1454, 1518, 1542, 1559, 1706, 1860, 2060, 2062, 2075, 2136, 2428, 2449, 2625, 2626, 2707, 2935 कुल किता 17 कुल रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा व आराजी नम्बर 1341, 1507, 1544, 2094, 2657, 2659, 2683, 2803, 3435, 3436, 1298 कुल किता 13 कुल रकबा 52 बीघा 13 बिस्वा का 1/6 हक व हिस्सा एवं आराजी नम्बर 1348, 1349 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का 1/3 हक व हस्सा एवं आराजी नम्बर 3415, 3416 कुल किता 2 रकबा 4

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बीघा 10 बिस्वा का 1/6 हक गोरू के खाते में दर्ज थी। पक्षकारान के परिवार का सजरा इस प्रकार है:—

सजरा परिवार

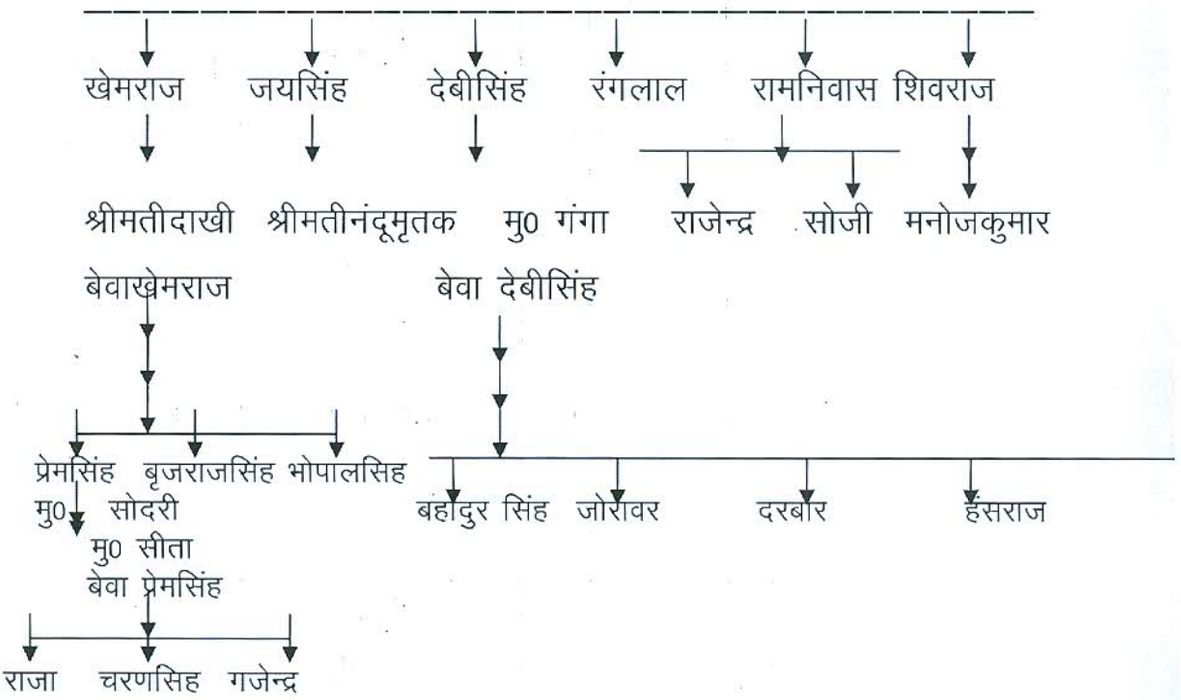

2. उपरोक्त आराजियात जो कि वाद पत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित है के मूल खातेदार जयसिंह पिता गोरू मीणा थे। जयसिंह करीब 6 वर्ष पहले लाऔलाद फौत हो गये थे। उनके हिस्से की भूमि नन्दू देबी पत्नि जयसिंह के नाम दर्ज हुई। श्रीमती नन्दू का भी देहावसान हो गया है। श्रीमती नन्दू के देहावसान के उपरान्त उक्त उपरोक्त वर्णित भूमि के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उत्तराधिकारी रहे। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, व प्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 का 1/5 हिस्सा प्रार्थी संख्या 7 व 8 का 1/5 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 9 का 1/5 हिस्सा होताहै। अप्रार्थीगण 1/5 हक व हिस्सा जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार घोषित किय जाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने षड्यंत्र कर राजस्व अधिकारियां से मिलीभगत कर जयसिंह की कुछ भूमि को अपने नाम दर्ज करा ली

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा शेष बची भूमि को भी अपने नाम पर दर्ज कराने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि किसी प्रकार दखल नहीं करें एवं न ही राजस्व रेकार्ड में फेरबदल करे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.5.2009 को अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2007 को खारिज किया गया एवं प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर साक्ष्य एवं अभिलेख के आधार पर प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया गया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की । जिस पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय पारित कर न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के यहाँ प्रतिप्रेषित कर प्रकरण में दोनों पक्षों की पुनः बहस सुनकर विधि व प्रावधानों के तहत नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पुनः पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.8.2013 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी नम्बर 1352, 1454, 1518, 1542, 1559, 1706, 1860, 2050, 2062, 2075, 2136, 2428, 2449, 2625, 2626, 2707, 2935 कुल किता 17 कुल रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा व आराजी नम्बर 1341, 1507, 1544, 2094, 2657, 2659,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2683, 2803, 3435, 3436, 1298 कुल किता कुल रकबा 52 बीघा 13 बिस्वा का 1/6 हक व हिस्सा एवं आराजी नम्बर 1348, 1349 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का 1/3 हक व हस्सा एवं आराजी नम्बर 3415, 3416 कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का 1/6 हक व हिस्सा की मूल वाद के निस्तारण तक प्राथीगण के कब्जेकाश्त एवं राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने बाबत अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि ग्राम टिकड तहसील जहाजपुर स्थित वादग्रस्त आराजियात जिसमें मृतक जयसिंह के खातेदारी की आराजियात जो कि शामलाती खाते की जमीन में जयसिंह स्वयं की खातेदारी की तन्हा अभिलिखित है। मृतक जयसिंह ने अपने हिस्से बाबत एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपीलार्थीगण बृजराज सिंह के पक्ष में दिनांक 15.9.1998 को लिखा रजिस्ट्री करा दी । जिस बाबत कोई अनुतोष प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट्स ने अपने वाद पत्र में नहीं चाहा है। मात्र रेस्पोडेण्ट्स/प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात को पुश्तैनी होना बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरूद्ध गलत वाद पत्र तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

6. अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात को पैतृक मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि वादग्रस्त आराजियात तन्हा मृतक जयसिंह के खातेदारी की होने से एवं उसकी रजिस्टर्ड वसीयत प्रार्थी बृजराज सिंह के पक्ष में निष्पादित होने से वादग्रस्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात को पैतृक नहीं माना जा सकता है। प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत को चेलेन्ज नहीं किया गया है न ही रजिस्टर्ड वसीयत को खारिज कराने का अनुतोष ही चाहा गया है। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत जो कि खातेदार जयसिंह एवं नन्दू द्वारा अपीलार्थी बृजराज सिंह के पक्ष में निष्पादित की गई है जिसे सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह खारिज योग्य है।

7. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात में जयसिंह के कोई जायन्दा संतान नहीं होने से एवं उनकी पत्नि मु0 नन्दू की भी मृत्यु हो जाने से जयसिंह की समस्त आराजियात में खेमराज/उनके वारिसान, देबीसिंह/उनके वारिसान, रंगलाल/उनके वारिसान, शिवराज /उनके वारिसान का 1/5, 1/5 हक हिस्सा निहित हो जाता है। जयसिंह के हिस्से की आराजियात का अपीलार्थी/विपक्षी बृजराज सिंह अकेले अधिकारी नहीं हो सकता है। वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा अकेले बृजराज सिंह का नहीं होकर खेमराज/उनके वारिसान, देबीसिंह/उनके वारिसान, रंगलाल/उनके वारिसान, शिवराज /उनके वारिसान का 1/5, 1/5 हक हिस्सा है एवं उसी अनुसार वे मौके पर काबिजकाश्त भी है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने बाबत प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होना बखूबी प्रमाणित है। चूंकि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध महकमे बन्दोबस्त जमाबंदियों का अवलोकन किया गया जिसमें वादग्रस्त आराजियात गोरू,भूरा,छोटू वल्द रामा के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में गोरू के कुल 6 संतान वाद पत्र में वर्णित सजरे के अनुसार खेमराज,जयसिंह,देबीसिंह,रंगलाल,रामनिवास,शिवराज कुल छः पुत्र थे। गोरू की मृत्यु के उपरान्त गोरू के हिस्से आई भूमि में उनके पुत्र खातेदार काश्तकार दर्ज किये गये। चूंकि जयसिंह की मृत्यु हो चुकी है एवं उसकी पत्नि मु0 नन्दू की भी मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जयसिंह के हिस्से आई भूमि में जयसिंह की मृत्यु के उपरान्त शेष बचे पांच भाई खेमराज, देबी सिंह, रंगलाल, रामनिवास एवं शिवराज हिस्सेदार होते हैं परन्तु स्वयं नन्द सिंह एवं उनकी पत्नि ने रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा अपनी सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पति को बृजराज सिंह जो कि खेमराज का पुत्र होकर जयसिंह की मृत्यु के उपरान्त शेष बचे पांच भाई खेमराज, देबी सिंह, रंगलाल, रामनिवास एवं शिवराज का भतीजा है के पक्ष में निष्पादित की है एवं जयसिंह की मृत्यु के उपरान्त जय सिंह की पत्नि मु0 नन्दू ने भी बृजराज सिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित कर अपने हक हिस्से में आई समस्त चल एवं अचल सम्पति को स्वयं की मृत्यु के उपरान्त बृजराज सिंह हकदार होने के संबंध में पंजीयन कराया है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला अपीलार्थी बृजराज के पक्ष में बखूबी साबित होता है। जबकि प्रत्यर्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने से कुछ भूमि तो बृजराज ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने नाम दर्ज करा ली एवं शेष आराजी को भी अपने नाम पर दर्ज कराने पर आमादा है इसलिए यदि बृजराज सिंह द्वारा अपने नाम दर्ज करा ली

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गई तो प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, तथा सुविधा का संतुलन भी प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में है। चूंकि वादग्रस्त पैतृक आराजियात में से मृतक जयसिंह के हिस्से में आई भूमि जयसिंह के खातेदारी हक से दर्ज हो चुकी थी जिसकी रजिस्टर्ड वसीयत अपीलार्थी बृजराज सिंह के पक्ष में निष्पादित की थी। जयसिंह की मृत्यु के उपरान्त जयसिंह की पत्नि मु0 नन्दू ने भी रजिस्टर्ड वसीयत अपीलार्थी/बृजराज सिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की है। जिसे प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कराया गया है । ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अपीलार्थीगण/बृजराज सिंह के पक्ष में पाई जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

9. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.8.2013 को निरस्त किया जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 26.3.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

26/3/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा